

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

एस0ए0आर0 वाद सं0- 05/2016-17

16

प्रथम पक्ष:-

श्री पौलुस पाहन पिता स्व0 मिखाएल पाहन
ग्राम-कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

-: बनाम :-

द्वितीय पक्ष:-


श्री पीटर मुण्डू पिता स्व0 लोरेंस मुण्डू
ग्राम-अमृतपुर कदमा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी।

आदेश का क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई																
28.10.2023	<p align="center">आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।</p> <p>यह वाद आवेदक द्वारा धारा 71 'A' के तहत भूमि वापसी हेतु आवेदन दिया गया है। जिसका जमीन का विवरण निम्नलिखित है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना/थाना नं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">कदमा</td> <td rowspan="4">खूँटी/84</td> <td rowspan="4">34</td> <td>132</td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>0.61</td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.26</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदन पत्र के आलोक में विधिवत् उभय पक्ष को नोटिस निर्गत की गयी। साथ ही इस न्यायालय के पत्रांक 111/न्या० दिनांक 03.10.2016 के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, खूँटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी।</p> <p>अंचल अधिकारी के पत्रांक 1148/24.11.2016 के अनुसार मौजा कदमा के खाता नं० 34, प्लॉट नं० 132, 133, 135 का रकबा 0.63, 0.61, 0.21 एकड़ का विन्दुवार जाँच प्रतिवेदन निम्नांकित है:-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भू-खण्ड का खतियानी रैयत कौन-कौन है तथा आवेदन के साथ उसका संबंध में ? उत्तर-खतियानी रैयत रोडे पाहन वल्द दुर्गा पाहन प्रथम पक्ष पौलुस पाहन पिता स्व० मिखाएल पाहन के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सं० 175 दिनांक 21.11.2016 के अनुसार वंशावली निम्न प्रकार है:- <p align="center">वंशावली</p> <p align="center">रोडे पाहन वल्द दुर्गा पाहन (खतियानी रैयत)</p> <p align="center">↓</p> <p align="center">मिखाएल उर्फ दुर्गा उर्फ मसी पाहन</p> <p align="center">↓ ↓</p> <p align="center">पौलुस पाहन (होरो)</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी रैयत कौन है तथा जमाबन्दी कायम होने का आधार क्या है ? उत्तर- पंजी II में खाता नं० 34, रकबा 13.12% एकड़ का जामाबन्दी दुर्गा पाहन उर्फ मसी पाहन, पिता रोडे पाहन के नाम पर दर्ज है जमाबन्दी 	ग्राम	थाना/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	कदमा	खूँटी/84	34	132	0.63	133	0.61	135	0.02		1.26	
ग्राम	थाना/थाना नं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)														
कदमा	खूँटी/84	34	132	0.63														
			133	0.61														
			135	0.02														
				1.26														

कायम होने का आधार दर्ज नहीं है प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में मिखाएल उर्फ दुर्गा मसी पाहन दर्ज पाया गया है, जो पंजी II में दर्ज नाम से भिन्न है।

3. सरकारी रसीद कटा है या नहीं ? उत्तर- सरकारी रसीद पंजी II पृष्ठ सं० 73 VOL I में दुर्गा पाहन उर्फ मसी पाहन पिता रोडे पाहन के नाम पर कटता है, लगान वर्ष 2015-16 तक वसूल है।
4. प्रश्नगत भू-खण्ड पर विपक्षी के दावे का आधार क्या है ? उत्तर- विपक्षी पीटर मुण्डू पिता स्व० लोरेन्स मुण्डू के दादा के नाम पर सिकमी खाता नं० 55 है। सर्वे खतियान में खाता नं० 55, फीलीप मुण्डा वल्द जौरा मुण्डा किस्म जमीन सीकमी दखलकार नाम लगान पाने वाला रोडे पाहन खाता नं० 34 दर्ज है, प्लॉट नं० 131, रकबा 0.01 एकड़ दर्ज जमीन मकान सहन तथा प्लॉट नं० 132, रकबा 0.63 एकड़ दर्ज जमीन टाड़ एक तथा प्लॉट नं० 133, रकबा 0.61 एकड़ दर्ज जमीन दोन तीन दर्ज है। (आवेदन पत्र में प्लॉट नं० 135, रकबा 0.02 एकड़ दर्ज किया गया है, जो सिकमी खाता नं० 53 में दर्ज है जिसका सिकमी रैयत दाउद मुण्डा वल्द वोउास मुण्डा दर्ज है।

सिकमी खाता नं० 55 का वंशावली



5. विपक्षी का प्रश्नगत भू-खण्ड पर किस रूप से कितनी भूमि पर तथा कब से दखल कब्जा है ? उत्तर- आवेदित भूमि प्लॉट नं० 132, रकबा 0.63 एकड़ एवं प्लॉट नं० 133 रकबा 0.61 एकड़ भूमि पर विपक्षी पीटर मुण्डू का चहरदिवारी दिया हुआ है, जिसपर कुआँ, मकान, बारी है एवं वृक्ष लगा हुआ है। उक्त भूमि पर विपक्षी एवं उनके पूर्वज लगभग 100 वर्षों से दखल कब्जा है।
6. आवेदित भूमि पर विपक्षी द्वारा कोई विकास कार्य किया गया है तो उसका पूरा ब्योरा दे जैसे :-
 - I. मकान कब से बना है ?
 - सर्वे खतियान के अनुसार मकान स्थित था एवं पक्का मकान लगभग 25-20 वर्षों से बना हुआ है।
 - II. कच्चा है या पक्का है ?
 - पक्का मकान एवं कुआँ है
 - III. मकान की अनुमानित कीमत क्या है ?
 - लगभग 30 लाख रुपया।
 - IV. मकान कितनी भू-खण्ड पर अवस्थित है एवं खाली है ?
 - लगभग 15 डिसमील पर मकान सहन एवं कुआँ है शेष 1.09 एकड़ भूमि

चहरदिवारी के अन्दर है जिसपर पेड़ पौधा लगा हुआ है।
V. जमीन पर कोई अन्य कार्य किया गया है या नहीं ?

- नहीं

VI. आवेदित भूमि आदिवासी खाते की है या नहीं तथा उसका किस प्रकार का है ?
- आवेदित भूमि आदिवासी खाते की है।

VII. भूमि का वर्तमान स्वरूप क्या है ?

- वर्तमान में भूमि पर गकान, कुओं गारी एवं चहरदिवारी के अन्दर पेड़ पौधा है।

VIII. प्रश्नगत भूमि के अन्तर्ग में सी० एन० टी० एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) की धारा 46/48 का उल्लंघन हुआ है या नहीं ?

- भूमि का अन्तर्ग नहीं हुआ है।

आवेदित भूमि सर्वे खतियान में रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन के नाम पर कायमी दर्ज है, तथा आवेदित भूमि पर विपक्षी के पूर्वज (दादा) फिलीप गुण्डा वल्द जौरा गुण्डा सिकमी दखलकार है जो सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदित भूमि पर विपक्षी का शान्तिपूर्ण दखल कब्जा है।

अभिलेख के अवलोकन करने के पश्चात् विधिवत् उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया। न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अदालत में उपस्थित हुए।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया गया कि यह मामला सी०एन०टी० एक्ट 1908 की धारा 71 'A' के तहत दर्ज किया गया है। यह अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है क्योंकि कार्यवाही में भूमि के हस्तांतरण में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। विपक्षी का प्रश्नगत भूमि के संबंध में कोई किराया रसीद नहीं और यह सी०एन०टी० के प्रावधान का उल्लंघन दर्शाता है। प्रश्नगत भूमि के म्यूटेशन और कारण बताओके वारे में कुछ भी नहीं कहा है, पुरी तरह से मौन है।

सिकमी रैयत के मृत्यु के बाद हक समाप्त हो जाता है। उसके वंशों का अधिकार नहीं रह जाता है। खतियानी रैयत को रसीद कट रहा है। खतियानी रैयत रोडे पाहन का पोता है पौलुस पाहन पिता रव० मिखाइल पाहन जो खतियान में काएमी अंकित है। पौलुस पिता नुअस होरो के नाम से वाद दायर किया गया था। यह विपक्षी के जवाब में अंकित है। इस संबंध में विपक्षी का कोई साक्ष्य नहीं है। सिर्फ मौखिक कथन नहीं चलेगा कि आवेदक डेहकेला, थाना कर्रा के निवासी है। पौलुस पाहन या होरो पिता नुअस को साक्ष्य नहीं दिया गया है। विपक्षी के जवाब का मैं सिकमीदार है याह कहीं अंकित नहीं है। आवेदक का आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं भोटर आईडी, शपथ पत्र, वंशावली का छायाप्रति दाखिल किया है। अनुमण्डल कार्यालय, खूँटी के न्यायालय में वाद सं० 03/2015 में आवेदक पौलुस पाहन के नाम Case किया गया था जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा खारिज कर समाप्त कर दिया है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 1148 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त आधार पर रसीद निर्गत करने का प्रार्थना करते हैं।


विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक पौलुस पाहन (होरो) पिता मिखाएल पाहन के आवेदन दिनांक 03.10.2016 द्वारा मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला-खूँटी, के खाता नम्बर 34, प्लॉट नम्बर 132, रकबा 0.63 एकड़, प्लॉट नम्बर 133, रकबा 0.61 एकड़, प्लॉट नम्बर 135, रकबा 0.02 एकड़ में कच्चा गकान वापसी के लिए आवेदन दाखिल किया है एवं आवेदन के पारा (7) दावा करते हैं कि भूमि


आवेदक के दादा रोडे पाहन के नाम आर०एस० खतियान में दर्ज है भूमि कायमी है। आवेदक सरकार को माल (रेंट) देता है। आवेदक का वाद पोषणीय नहीं है, आवेदक का वाद परिसीमा काल, प्रतिकुल कब्जा से बाधित है। वाद जमीन पर विपक्षी अपने पूर्वज फिलीप मुण्डा वल्द जौरा मुण्डा के समय से मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला राँची हाल जिला खूँटी के खाता नं० 34, प्लॉट नं० 132 रकबा 0.63 एकड़, प्लॉट नं० 133, रकबा 0.61 एकड़, प्लॉट नं० 131, रकबा 0.01 एकड़ कुल रकबा 1.25 एकड़ जमीन पर मकान सहन, कोड कर कुआँ, मकान आँगन वारी एवं वृक्ष लगाकर एवं चहार दिवारी देकर पूरा परिवार रहते चले आ रहे हैं एवं फिलीप मुण्डा के देहान्त के बाद उनके वारिसान दखलकार चले आ रहे हैं। विपक्षी के दादा फिलीप मुण्डा वल्द जौरा मुण्डा आर० एस० नाप के पूर्व उपरोक्त वाद जमीन पर मकान सहन एवं कोड़कर बनाकर दखलकार हुए एवं पुरा परिवार के साथ रहने लगे एवं चौकीदारी टेक्स देते आ रहे हैं एवं फिलीप मुण्डा के देहान्त के बाद विपक्षी के पिता लोरेन्स मुण्डू भी पक्का विल्डींग 60 वर्ष पूर्व बनाकर पूरा परिवार के साथ रहने लगे एवं सरकार को चौकीदारी टेक्स देते आ रहे हैं एवं लोरेन्स मुण्डू के देहान्त के बाद उनके वारिसान (विपक्षी) दखलकार होकर पूरा परिवार रहते आ रहे हैं एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति खूँटी एवं नगर पंचायत, खूँटी को होल्डींग टेक्स देते आ रहे हैं। मौजा कदमा थाना खूँटी, जिला खूँटी के रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन अपने पीछे एक लकड़ा दुरगा पाहन उर्फ मसी पाहन नवाल्द मर गये। आवेदक पौलुस पाहन (होरो) पिता मिखाएल पाहन मौजा कदमा, थाना खूँटी, जिला राँची के रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन का नाती नहीं है। आवेदन पौलुस होरो है एवं पिता का नाम मिखाएल होरो थे एवं दादा नुवास होरो थे जो मौजा डहकेला, थाना कर्रा, जिला खूँटी के स्थानीय निवासी थे। आवेदक पौलुस होरो के पिता मिखाएल होरो की शादी मौजा मनहातु, थाना तोरपा, जिला राँची हाल जिला खूँटी के सोमरा भेंगरा की पुत्री मारीया के साथ तोरपा चर्च में 17.01.1916 ई० को हुआ था। तोरपा चर्च के Parish Priese Sacret Heart Church Torpa, Khunti द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट इस लिखित वहस के साथ दाखिल करते हैं। मिखाएल होरो पिता नुवास होरो एवं मारीया (पुत्री सोमरा भेंगरा) से दो पुत्री एवं दो पुत्र हुए जिसका नाम (1) सलोमनी (पुत्री) (2) सामुएल होरो (पुत्र) (3) अन्ना होरो (पुत्री) (4) पौलुस होरो (पुत्र) जो उपरोक्त वाद में आवेदक है। पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो का नाम ST. Michal's Cathedral Khunti के चर्च के जनसंख्या रजिस्टर पंजी में दर्ज है। खूँटी चर्च के पत्नी पुरोहित एवं डीन फादर विसु बेंजामिन आईन्द द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट इस लिखित वहस के साथ दाखिल करते हैं। आवेदक पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो ए० जी० ओफिस, राँची द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट इस लिखित वहस के साथ दाखिल करते हैं। उपरोक्त कागजात से प्रमाणित होता है कि आवेदक पौलुस होरो पिता मिखाएल होरो मौजा डहकेला, थाना कर्रा, जिला राँची के नुवास होरो के पोता है। उपरोक्त कागजात से भी प्रमाणित होता है कि मौजा कदमा, थाना खूँटी के रोडे पाहन वल्द दुरगा पाहन के वारिसान नहीं है। आवेदक पौलुस होरो पिता स्व० मिखाएल होरो ने पूर्व श्रीमान् अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में विपक्षी पीटर मुण्डू पिता स्व० लोरेन्स मुण्डा वॉ चम्पा महतो वॉ गुलाब महतो दोनों के पिता स्व० लच्छु

महतो (कुम्हार) के विरुद्ध दाखिल किया था एवं उभय पक्षों के तरफ रो सुनवाई के बाद माननीय अनुमण्डल दण्डाधिकारी खूँटी ने दिनांक 08.09.2016 को खारिज समाप्त कर दिये। उपरोक्त एस० ए० आर० वाद सं० 5/2016-17 में भूमि सुधार उप-समाहर्ता द्वारा भवदीय पत्रांक 111/न्या० दिनांक 03.10.2016 ई० के द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा मौजा कदमा, थाना खूँटी के खाता नं० 34 प्लॉट नं० 132, 133, 135 रकबा 0.63, 0.61, 0.02 एकड़ कुल रकबा 1.26 एकड़ का विन्दुवार जाँच प्रतिवेदन माँग की गई थी एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के कार्यालय पत्रांक 1148 दिनांक 24.11.2016 के द्वारा भूमि सुधार उप-समाहर्ता, खूँटी को भेजा गया है। आवेदक के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा/कागजातों तक अस्पष्ट है कि प्रथम पक्ष पौलुस होरो ए० जी० ऑफिस राँची में काम करते थे एवं ए० जी० ऑफिस राँची से वर्ष 1994 ई० में सेवानिवृत्त हुए तथा उन्हें पेन्सन मिलता है जिसमें उनके बाप का नाम मिखाएल होरो है एवं तोरपा चर्च के Prarish Priese Sacret Heart Church Torpa, Khunti द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट से प्रमाणित होता है कि प्रथम पक्ष पौलुस होरो के पिता मिखाईल होरो की शादी मौजा मनहातु, थाना तोरपा, जिला राँची हाल जिला खूँटी के सोमरा भेंगरा की पुत्री मारीया के साथ तोरपा चर्च में 17.01.1916 ई० को हुआ था एवं उक्त सर्टिफिकेट से यह भी प्रमाणित होता है कि आवेदक पौलुस होरो के दादा नुवास होरो थे जो मौजा डहकेला थाना कर्रा जिला राँची के स्थानीय निवासी थक। उपरोक्त कागजातो से सबुत होता है कि मौजा कदमा थाना खूँटी जिला राँची के खतियानी रैयत रोडे पाहन वल्द दुर्गा पाहन के वंशज नहीं है। अंचलाधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से प्रतिवेदन किया है कि आवेदित भूमि पर विपक्षी एवं उनके पूर्वज लगभग 100 वर्षों से दखल कब्जा है एवं यह भी प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि के अन्तरण में सी०एन०टी० एक्ट (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46/48 का उल्लंघन नहीं हुआ है। आवेदक का आवेदन को खारिज किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के वहस को सूना एवं पाया कि वंशावली के अनुसार पौलुस पाहन जो खतियानी रैयत के वंशज होने का दावा संदेहारपद है एवं प्रश्नगत मामला सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46 उपधारा 1 के परन्तुक 'ए' का उल्लंघन नहीं है क्योंकि विपक्षी खतियान के अनुसार सिकमी रैयत है। ऐसी स्थिति में धारा 71 'A' सी०एन०टी० एक्ट 1908 के प्रावधान लागु नहीं होगा। आवेदक का अपील आवेदन अस्वीकृत की जाती है। आवेदक समक्ष न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित


26/10/23
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।


26/10/23
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।